

निर्णय बईजलास करतार सिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0, अति0 जिला कलक्टर एवं  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण सख्या 13/19

दायरा- 12.04.19

राजस्थान सरकार जर्गे पुलिस अधीक्षक झालावाड

सायल

बनाम

राशिद खान आ0 अल्लानूर निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी झालरापाटन

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- श्री योगेन्द्रसिंह राजावत वकील गैर सायल

-: आदेश :-

दिनांक :- 26.09.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी झालरापाटन द्वारा जर्गे पुलिस अधीक्षक झालावाड गैरसायल राशिद खान आ0 अल्लानूर निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी झालरापाटन के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 5232 दिनांक 15.03.19 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना झालरापाटन जिला झालावाड में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

| क्र0स0 | इस्तगासा पेश करने की दिनांक | धारा  | प्रकरणों की स्थिति |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1      | 55/17                       | 279,337,338 भादस एवं 4/181 एमवीएक्ट               | पेण्डिंग कोर्ट     |
| 2      | 293/17                      | 13 आरपीजीओ  | 100/- जुर्माना     |
| 3      | 309/17                      | 13 आरपीजीओ  | 100/- जुर्माना     |
| 4      | 11/18                       | 13 आरपीजीओ  | 100/- जुर्माना     |
| 5      | 256/18                      | 143,307,323,324,326 भादस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट | पेण्डिंग कोर्ट     |

जिनमें में से 3 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्गे नोटिस तलब किया गया। गैर सायल निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील श्री योगेन्द्र राजावत द्वारा वकालतनाम पेश कर अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है-अब भविष्य में कभी भी यह कार्य नही करेगा। अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।


मैंने गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

*Levio*  
अति० कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड (राज०)

—: आदेश :-

राशिद खान आ0 अल्लानूर निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी झालरापाटन को दिनांक 27.09.2019 से 15 दिन (पन्द्रह दिन) के लिए जिला झालावाड़ की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉंजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.19 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

  
अति० जिला कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
जति० झालावाड़  
झालावाड़ (राब०)

